

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

संसाक 50/ अनवर/ 1990-91

प्रभागित किया जाता है कि श्रामिक नेटवर्क इन्डिया द्वारा
समिति गाठनकारी जिला अधिकार

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्तांक और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 15 सप्तember 1990 द्वारा एक हजार नौ सौ को
रुपूट रेंडिंग में दिया गया।

रजिस्ट्रार राजस्थान